न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33/2017/प्रा.पत्र/2017	10.05.2017	10.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 6 मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2–श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन प्रोपराइटर मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3– मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (iv) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 10.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.03.2017 को समय 2.42 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से राकेश कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 6 मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का नौकर/मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया वि... ...नता को विकय हेतु दुकान मे **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) रखा हुआ ... का निरीक्षण करने पर मिलावट

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

की शंका होने पर. विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे लगभग 22 किलोग्राम एक एल्यूमिनियम के केन मे **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) रखे हुये मे से 1600 ग्राम इलेक्ट्रोन मशीन से एक साफ व सूखे स्टील के जग मे तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश कुमार जैन को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) 1600 ग्राम को 400–400 ग्राम के अलग–अलग चार साफ व सूखे कॉच की बोतलो मे अलग–अलग भरकर बोतलो के ढक्कन को एयर टाईट: बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1560 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1560 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2017/1283 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/111/एक्ट/2017/111 दिनांक 10.03.2017 अनुसार राकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **कॉन्ट्रावेन** (Co[illegible]e)स्तर का **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) का विक[illegible]मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv) का उल्लं[illegible] किया है जिसका जुर्माना खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिसे **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose)का विक्रय कर रहा था। वह जांच में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसो तेल खुला** (Mustard Oil Loose) का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 6 मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन प्रोपराइटर मैसर्स अनिल एण्ड ब्रदर्स पुलिस थाने के सामने नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

10.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner